

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : जीएनएम/प्रशि/2012/1004

दिनांक : 24-8-12

संशोधित आदेश

S.B.C.W. Peti. No. 5384/12 द्वारा आर.सी. मैमोरियल नर्सिंग स्कूल बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 28.05.2012 के अनुसरण में इस निदेशालय की एकल पत्रावली पर राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आई.डी. संख्या 1564/चि.स्वा./2012 दिनांक 17.08.2012 के द्वारा अनुमोदनोपरान्त निदेशालय के आदेश क्रमांक प्रशि/जीएनएम/2012/956 दिनांक 1.08.2012 एवं 1984 दिनांक 11.08.2012 के क्रम में निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं उनकी सीटों की अंतिम सूची के क्रम संख्या 151 पर पिटिशनर संस्थान का नाम निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

नाम पिटिशनर संस्थान	कुल सीटें	राजकीय कोटा	फेडरेशन कोटा
आर.सी. मैमोरियल नर्सिंग स्कूल, फालना जिला पाली	60	30	30

उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर विकल्प/वरियता के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर यह उल्लेखित किया जावे कि यह प्रवेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधिन है।

Qly

अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : जीएनएम/प्रशि/2012/1004

दिनांक : 24-8-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, मा. मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक/सचिव, राजस्थान प्रावेइंट नर्सिंग स्कूलस फेडरेशन, ई-277 लालकोठी योजना, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काँसिल, जयपुर।
7. उपविधि परामर्शी मुख्यालय, जयपुर।
8. संबंधित संस्थान।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. रक्षित/आदेश/निजी पत्रावलि।

Qly

अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर